न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)
प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 27/2022

1. पुसा पुत्र कल्याण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर
अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः—07.02.2025

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

उपस्थितः—श्री महावीर गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना—पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम धांतोल पटवार हल्का धांतोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072—2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 220, खाता संख्या 252 और खाता संख्या 207 में दर्ज खसरा नम्बरान प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है। जो उनके पिता स्व0 कल्याण की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। वर्किंग जमाबन्दी में में उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता कल्याण पुत्र भूरा के नाम दर्ज थी। जिसमें वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश प्रार्थी के पिता का नाम खाता संख्या 220, खाता संख्या 252 में छोटू तथा खाता संख्या 207 में श्योजी अकिंत हो गया है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता नाम सही नाम कल्याण दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब/रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना—पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीगणों के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सूना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी पिता का नाम पूर्व जमाबन्दी में कल्याण दर्ज था, परन्तु राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा भुलवश प्रार्थी के पिता का नाम खाता संख्या 220, खाता संख्या 252 में छोटू तथा खाता संख्या 207 में श्योजी दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। वकील प्रार्थीगणों द्वारा अपनी निवेदन के समर्थन में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान—पत्र, जन—आधार कार्ड आदि पेश किये जा चुके है। प्रार्थी की ग्राम धांतोल में ही स्थित अन्य आराजी रिकॉर्ड भी संलग्न किया गया है जिसमें खाता संख्या 244, खाता संख्या 84 में प्रार्थी के पिता का नाम सही अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, जवाब तहसीलदार भिनाय, संबंधित भू—अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट व मौका पर्चा, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान—पत्र, जन—आधार कार्ड, वर्किंग जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल आदि का गहनता से अध्ययन तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिये जाते है कि मौजा ग्राम धांतोल पटवार हल्का धांतोल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072—2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के **खाता संख्या 220, खाता संख्या 252 में दर्ज खसरा नम्बरान** में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **पूसा पुत्र छोटू** के स्थान पर **पूसा पुत्र कल्याण तथा** खाता **संख्या 207 में दर्ज खसरा नम्बरान** में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **नाबालिग पूसा पुत्र श्योजी सरंक्षक सरपरसत माता** के स्थान पर **पूसा पुत्र कल्याण** दुरूस्त किया जावे। **शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय द्वारा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)